

## प्रेसनोट दिनांक 27.03.2021

1. दिनांक 26.03.21 को वादी उ0नि0 श्री राजेश कुमार मिश्रा थाना कैण्ट अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि सूरज यादव पुत्र अमरनाथ यादव नि0 फत्तेपुर सरैया थाना कैण्ट अयोध्या गिर0 अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद तमंचा व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना कैण्ट में मु0अ0सं0 132/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया।
2. दिनांक 26.03.21 को वादी उ0नि0 श्री राम प्रकाश मिश्रा थाना को0अयोध्या अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि सुनील पुत्र रामाश्रय नि0 51/801 कांशीराम कोलानी थाना को0नगर अयोध्या आदि 02 नफर अभि0गण के कब्जे से 20 लीटर अपमिश्रित शराब बरामद होना। जिसके संबंध में थाना को0अयोध्या में मु0अ0सं0 156/21 धारा 272 भादवि व 60 आबकारी अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।
3. दिनांक 26.03.21 को वादी श्री राम जतन पुत्र विश्राम नि0 दिगम्बरपुर थाना रौनाही अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि वाहन संख्या यूपी 44 बीबी 8123 मोटर साइकिल का चालक नाम पता अज्ञात वाहन चालक द्वारा तेज गति व लापरवाही पूर्वक वाहन चलाकर वादी के भाई राम मगन को टक्कर मार देना जिससे पैर टूट जाना। जिसके संबंध में थाना रौनाही में मु0अ0सं0 148/21 धारा 279, 338 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।
4. दिनांक 26.03.21 को वादी उ0नि0 श्री अश्वनी कुमार सिंह थाना रौनाही अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि राघवराम पुत्र छोटेलाल नि0 इब्राहिमपुर कंधई थाना रौनाही अयोध्या गिर0 अभियुक्त के कब्जे से 200 एमएल की 45 शीशी आरेंज ब्राण्ड देशी शराब बरामद होना। जिसके संबंध में थाना रौनाही में मु0अ0सं0 150/21 धारा 60 आबकारी अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।
5. दिनांक 26.03.21 को वादी उ0नि0 श्री सुधाकर सिंह थाना हैदरगंज अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि मुकेश कुमार पुत्र स्व0 उमाशंकर नि0 सत्तीपुर थाना हैदरगंज अयोध्या गिर0 अभियुक्त के कब्जे से 10 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना हैदरगंज में मु0अ0सं0 64/21 धारा 60 आबकारी अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।
6. दिनांक 26.03.21 को वादी श्री बिपिन पुत्र अम्बर नि0 बैनामा का पुरवा मजरे रौजागांव थाना को0रुदौली अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि कपिल देव पुत्र जोखन नि0 बैनामा का पुरवा मजरे रौजागांव थाना को0रुदौली अयोध्या आदि 02 नफर बच्चो के विवाद को लेकर अभि0गण द्वारा गाली व जान माल की धमकी देते हुए मारना पीटना। जिसके संबंध में थाना को0रुदौली में मु0अ0सं0 138/21 धारा 323, 504, 506 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।
7. दिनांक 26.03.21 को वादी श्री राम धीरज पुत्र स्व0 बिन्द्रा प्रसाद नि0 राजा नगर थाना पटरंगा अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि पिक अप नं0 यूपी 41 एटी 2316 का चालक नाम पता अज्ञात वाहन चालक द्वारा तेज गति व लापरवाही पूर्वक वाहन चलाकर वादी के पिता व भाई को टक्कर मारकर घायल कर देना तथा ठेला टूट जाना, इलाज के दौरान वादी के पिता की मृत्यु हो जाना। जिसके संबंध में थाना पटरंगा में मु0अ0सं0 64/21 धारा 279, 337, 338, 304ए, 427 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।